संख्या-576/2025/आई/1142948/23-1-25/001-23-1002(002)/294/2025

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 14 नवम्बर, 2025**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से बांदा मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 29 विशेष मरम्मत के कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **बांदा मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 29 विशेष मरम्मत के कार्यों हेतु कुल लागत रू0 23,01,76,000/- (रूपये तेईस करोड़ एक लाख छियत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल **रू0 8,05,62,000/- (रूपये आठ करोड़ पांच लाख बासठ हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आई/306940/2025, दिनांक 10.10.2025	नि.ख.-1 चित्रकूट	415562	मानिकपुर मारकुण्डी डुडैला मार्ग (एम0डी0आर0) के किमी0 7,13,18 में क्षतिग्रस्त पुलियों के स्थान पर बाक्स कलवर्ट व किमी0 32 एवं 33 में रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य।	Box Culvert + Retaining Wall	240.06	84.02
2	आई/306940/2025, दिनांक 10.10.2025	नि.ख.-1 चित्रकूट	410640	विशेष मरम्मत के अन्तर्गत कपुरी से खजुरिहा कला सम्पर्क मार्ग में मरम्मत का कार्य।	3.150	55.05	19.27

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
3	आई/306940/2025, दिनांक 10.10.2025	प्रा.ख. चित्रकूट	410278	बिलास बांगर सम्पर्क मार्ग के किमी0-5(400), 6(100) के आबादी भाग में सी0सी0 एवं नाली का निर्माण कार्य	0.500	58.71	20.54
4	आई/306940/2025, दिनांक 10.10.2025	प्रा.ख. चित्रकूट	415590	डिलौरा से अहिरनपुरवा मार्ग के किमी0-1 में स्थित मिसिरा नाले पर 1 गुणा 4.00 मीटर स्पान के बाक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य।	Box Culvert	56.50	19.78
5	आई/306940/2025, दिनांक 10.10.2025	प्रा.ख. चित्रकूट	410249	रायपुर बांगर सम्पर्क मार्ग के किमी0-1(700) एवं 2(500) के आबादी भाग के आबादी भाग में सी0सी0 एवं नाली का निर्माण कार्य।	1.200	83.42	29.2
6	आई/306940/2025, दिनांक 10.10.2025	नि.ख.-2 बांदा	400843	जनपद बांदा में गुगौली से बम्बिया में विशेष मरम्मत का कार्य।	2.380	53.00	18.55
7	आई/306940/2025, दिनांक 10.10.2025	नि.ख.-2 बांदा	400835	जनपद बांदा में भाथा से नादादेव सम्पर्क मार्ग में विशेष मरम्मत का कार्य।	1.980	65.33	22.87
8	आई/306940/2025, दिनांक 10.10.2025	नि.ख.-2 बांदा	400903	जनपद बांदा में बांदा बबेरु मार्ग से गुरेह सम्पर्क मार्ग में विशेष मरम्मत एवं क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 1गुणे 3 गुणे 3 मी0 आर0सी0सी0 बाॅक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य।	0.800	59.02	20.66
9	आई/306940/2025, दिनांक 10.10.2025	नि.ख.-2 बांदा	400852	जनपद बांदा में मिरगहनी से गजनी सम्पर्क मार्ग में विशेष मरम्मत का कार्य।	2.440	46.29	16.2
10	आई/306940/2025, दिनांक 10.10.2025	प्रा.ख. बांदा	400259	जनपद बांदा में कमासिन दांदौ से नारायणपुर लखनपुर सम्पर्क मार्ग के चैनेज 2.300 से 2.910 में विशेष मरम्मत का कार्य।	0.610	67.62	23.67
11	आई/320940/2025, दिनांक 28.10.2025	प्रा.ख. बांदा	400118	बबेरू-मर्का अन्य जिला मार्ग के चैनेज 5.800 चैनेज 11.800 एवं चैनेज 14.200 में 1×3.00 मी0 स्पान 3 अदद बाक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य।	RCC Box Culvert	78.41	27.44
12	I/327661/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. बांदा	400116	जनपद बांदा में एस0आर0एम0डी0 के अन्तर्गत तिलौसा ममसी सिंहपुर (अन्य जिला मार्ग) के चैनेज 3.900 से 4.100, चैनेज 13.300 से 13.450 एवं चैनेज 20.850 से 21.00 में सी0सी0 से विशेष मरम्मत का कार्य।	0.500	46.70	16.35
13	आई/306940/2025, दिनांक 10.10.2025	प्रा.ख. बांदा	400317	जनपद बांदा में निम्नीपार सम्पर्क मार्ग के चैनेज 0.00 से 0.700 में विशेष मरम्मत का कार्य।	0.700	60.53	21.19
14	आई/317827/2025, दिनांक 10.10.2025	नि.ख.-1 बांदा	406260	बांदा नरैनी कालिंजर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-113) के किमी0 59 में सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	0.400	94.24	32.98

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
15	आई/320940/2025, दिनांक 28.10.2025	नि.ख.-1 बांदा	406096	गाजीपुर सम्पर्क मार्ग में सी0सी0 का कार्य।	1.000	86.36	30.23
16	आई/320940/2025, दिनांक 28.10.2025	नि.ख.-1 बांदा	406140	चकला पुलिया से पियार सम्पर्क मार्ग में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 2 गुणे 3 गुणे 3 मी0 स्पान का बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	RCC Box Culvert	82.99	29.04
17	आई/320940/2025, दिनांक 28.10.2025	नि.ख.-1 बांदा	400459	रामनगर निस्फ सम्पर्क मार्ग में सीसी मार्ग का कार्य।	0.800	131.27	45.94
18	आई/320940/2025, दिनांक 28.10.2025	नि.ख.-1 बांदा	401051	शुक्लन पुरवा सम्पर्क मार्ग में सीसी मार्ग का कार्य।	2.000	139.07	48.67
19	I/327661/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-1 बांदा	400120	कालिंजर बघेलाबारी मार्ग (अन्य जिला मार्ग) में क्षतिग्रस्त रपटों की मरम्मत एवं पुलिया तथा रिटेनिंग वाॅल का निर्माण कार्य।	0.170	46.42	16.25
20	आई/320940/2025, दिनांक 28.10.2025	नि.ख.-1 महोबा	390286	सालट सम्पर्क मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0 एवं नाली निर्माण का कार्य।	1.9	145.48	50.92
21	आई/320940/2025, दिनांक 28.10.2025	नि.ख.-1 महोबा	390327	गौरहारी भटेवरा से धनावन सम्पर्क मार्ग में 1x3 मी0 स्पान आर0सी0सी0 स्लैब कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	Box Culvert	46.72	16.35
22	आई/306940/2025, दिनांक 10.10.2025	प्रा.ख. महोबा	395265	रिवई से सिरसीकला सम्पर्क मार्ग में विशेष मरम्मत का कार्य।	4.720	52.10	18.24
23	I/327661/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. महोबा	390074	खन्ना चुरेहरन डेरा ग्योड़ी मार्ग (अन्य जिला मार्ग) में विशेष मरम्मत का कार्य।	0.800	66.24	23.18
24	I/327661/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. महोबा	390137	कबरई कुन्हेटा मार्ग (प्र0जि0मा0) के किमी0-14(500) मी0 के आबादी भाग में सी0सी0 एवं नाली का निर्माण कार्य।	0.500	114.55	40.09
25	आई/306940/2025, दिनांक 10.10.2025	प्रा.ख. हमीरपुर	380114	मौदहा कपसा मार्ग के किमी0 17 में स्थित क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 5 x 3 मी0 स्पॉन की बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	Box Culvert	55.03	19.26
26	आई/306940/2025, दिनांक 10.10.2025	प्रा.ख. हमीरपुर	380097	बुढई से बैजेमऊ मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग का निर्माण कार्य।	4.700	58.26	20.39
27	आई/306940/2025, दिनांक 10.10.2025	प्रा.ख. हमीरपुर	380128	इंगोहटा छानी मार्ग के किमी0 4 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 5 x 3 मी0 स्पॉन की बॉक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य।	Box Culvert	52.55	18.39
28	आई/306940/2025, दिनांक 10.10.2025	प्रा.ख. हमीरपुर	380256	जनपद हमीरपुर में नरायच से मदारपुर मार्ग के किमी0 1 में स्थित क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान	Box Culvert	100.31	35.11

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
				पर 5x5 मीटर स्पॉन की विशेष मरम्मत के अन्तर्गत बॉक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य।			
29	आई/306940/2025, दिनांक 10.10.2025	प्रा.ख. हमीरपुर	385367	जनपद हमीरपुर में चमरखन्ना से छिरका मार्ग के किमी0 1 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 5 x 3 मी0 स्पॉन की पुलिया का निर्माण एवं एप्रोच मार्ग में विशेष मरम्मत का कार्य।	Box Culvert	59.53	20.84
					कुल योग-	2301.76	805.62

(1) प्रश्नगत कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्यों को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। विभाग का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। साथ ही विभाग का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यो में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट व स्टील, ग्रिट, बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये।

(5) प्रश्नगत कार्यों प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कार्य प्रारम्भ किया जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(6) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(7) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(8) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्यों की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(9) प्रश्नगत कार्यों निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(10) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) परियोजना की लागत व समय सीमा में बढोत्तरी न हो, इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा एवं माह में कम से कम एक बार समीक्षा विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(12) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत कार्य से सम्बन्धित बचत (यदि हो तो) व कार्य पूर्णता इत्यादि की सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) परियोजना को निर्धारित समयसीमा के अन्दर अवश्य पूर्ण कर लिया जाये तथा टाइम ओवर रन एवं क्रास्ट ओवर रन इत्यादि के कारण प्रायोजना का पुनरीक्षण भविष्य में नहीं किया जायेगा।

(14) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय-वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय-वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(15) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है, तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

(16) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(17) परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता आदि के वेतन से की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(18) परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का होगा।

(19) जिन मार्गों के सृष्टि कोड अंकित नहीं है, उनके संबंध में प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व के हैं अथवा उनके लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में न होने की दशा में संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त किये जाने के उपरान्त कार्यवाही की जाय।

(20) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) उपरिलिखित सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला **रू0 8,05,62,000/- (रूपये आठ करोड़ पांच लाख बासठ हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231 /2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-576/2025/आई/1142948(1)/23-1-25/001-23-1002(002)/294/2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
5- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
6- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

9- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

11- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।

12- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।